"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2012—आश्विन 27, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-142/पंग्राविवि./22/2012/2729.—छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 213) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (ठ) को विलोपित किया जाए.

नियम 5 में, शब्द "सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा", के स्थान पर शब्द "सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 6 के उप-नियम (3) में, शब्द "तथा पदोन्नति" को विलोपित किया जाए.

4. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (ङ) में, शब्द "परीक्षा" के पश्चात्, शब्द "अथवा मेरिट" जोड़ा जाए.

5. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (च) के उप-खण्ड (दस) में, शब्द "परीक्षा परिणाम की घोषणा" के पश्चात्, शब्द "अथवा मेरिट के आधार पर चयन होने पर तैयार की गई अंतिम सूची के प्रकाशन" अंत:स्थापित किया जाए.

6. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 (क), 2 (ख) एवं 2 (घ) के कॉलम 5 में, शब्द "शिक्षण (शिक्षा विज्ञान) में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)" के स्थान पर, शब्द "शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एड.)" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(ङ)	शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा.	तदैव"

8. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 (क) के कॉलम (2) में, शब्द "विज्ञान/" को विलोपित किया जाए.

9. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 (क) तथा (ख) के कॉलम (5) में, शब्द शिक्षा के पश्चात् उल्लिखित शब्द "विज्ञान" को विलोपित किया जाए.

10. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक (3) (क) तथा (ख) के कॉलम (5) में, शब्द "(चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)" के स्थान पर, शब्द "(चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए)" प्रतिस्थापित किया जाए.

11. अनुसूची-दो के साथ संलग्न टीप के सरल क्रमांक (4) को विलोपित किया जाए.

12. अनुसूची-दो के साथ संलग्न टीप के सरल क्रमांक (6) के खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए, 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, डी. एड./बी.एल.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक.

(दो) शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथापि, ऐसे आवेदक, जिन्होंने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें स्नातक अथवा बी.एड. में प्राप्त पृथक-पृथक अंकों के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिए जायेंगे."

13. अनुसूची-चार के कॉलम (5) के शीर्षक में, शब्द "के सदस्य" को विलोपित किया जाए.

14. परिशिष्ट के भाग [अ] में, शब्द "द्वितीय श्रेणी में" को विलोपित किया जाए.

15. परिशिष्ट के भाग [अ] के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (3) में, शब्द "मानविकी" तथा "एवं" के स्थान पर क्रमश: शब्द "मानव विज्ञान" तथा "अथवा" प्रतिस्थापित किया जाए.

16. परिशिष्ट के भाग [ब] के खण्ड (क) में, जहां कहीं शब्द "विज्ञान" आया हो, तथा शब्द "या बी. ए. एड./बी.एस.सी.एड." विलोपित किया जाए.

17. परिशिष्ट के भाग [ब] के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"रसायन, बॉयोकेमेस्ट्री, फॉर्मेसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान तथा भू-गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग में स्नातक."

18. परिशिष्ट के भाग (ब) के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 5 से संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएं.

19. परिशिष्ट के भाग (स) के खण्ड (एक) में, शब्द "तथा" के पश्चात् शब्द "चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.)" अंत:स्थापित किया जाए.

20. परिशिष्ट के भाग (स) के खण्ड (एक) में, शब्द "प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)" को विलोपित किया जाए.

21. परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (क) तथा (ख) में शब्द "विज्ञान" विलोपित किया जाए.

22. परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप के सरल क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"2 (क) यदि व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्ति के लिए बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो ऐसे मामलों में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अन्दर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्रमांक/पं.-142/पंग्राविवि./22/2012/2730.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-142/पंग्राविवि./22/2012/2729, दिनांक 19-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, उप-सचिव.

Raipur, the 19th October 2012

NOTIFICATION

No./P.-142/PGVV/22/2012/2729.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur (Room No. 213) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. Clause (1) of rule 2 shall be omitted.

2. In rule 5, for the words "The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I", the words "The classification of the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I" shall be substituted.

3. In sub-rule (3) of rule 6, the words "and promotion" shall be omitted.

4. In clause (e) of sub-rule (7) of rule 6, after the word "examination" the words "or merit" shall be added.

5. In sub-clause (x) of clause (f) of sub-rule (7) of rule 6, after the words "examination result" the words "or publication of final list prepared upon selection on merit basis" shall be inserted.

6. In column (5) of serial number 2 (a), 2(b) and 2(d) of Schedule-II, for the words "one year graduation (B.Ed.) in education" the words "one year graduation course in Education (B.Ed.)" shall be substituted.

7. After serial number 2(d) of Schedule-II, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"(e)	Teacher (Panchayat) Librarian	21 years	35 years	Degree in Library Science from recognized University or Graduate and 1 year Diploma in Library Science from any recognized Instutute.	—do—"

8. In column (2) of serial number 3 (a) of Schedule-II, the word "Science/" shall be omitted.

9. In column (5) of serial number 3 (a) and (b) of Schedule-II, the word "Science" appearing after word education shall be omitted.

10. In column (5) of serial number 3 (a) and (b) of Schedule-II, for the words "(to whom so ever named it called)", the words "(by whatever name called)" shall be substituted.

11. Serial number (4) of Note appended to Schedule-II shall be omitted.

12. For clause (i) and (ii) of serial number (6) of Note appended to Schedule-II, the following shall be substituted, namely :—

"(i) For appointment of Assistant Teacher (Panchayat), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 10th, 50 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 15 marks of the percentage of marks obtained in D.Ed/B.L.Ed and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T.

(ii) For appointment of Teacher (Panchayat), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 50 marks on the percentage of marks obtained in Graduation, 15 marks of the percentage of marks obtained in B.Ed and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T. however, those applicants who have passed the four years Integrated Education Course shall be assigned 65 marks on the percentage of total marks obtained instead of separate marks obtained in Graudation or B.Ed."

13. In heading of column (5) of Schedule-IV, the words "Member of" shall be omitted.

14. In Part [A] of Annexure, the words "in second division" shall be omitted.

15. In column (3) of serial number 8 of Part [A] of Annexure, for the word "Humanity" and "and" the words "Anthropology" and "or" shall be substituted, respectively.

16. In clause (a) of Part [B] of Annexure, the word "science" wherever it occurs, and words "or B.A.Ed./B.Sc.Ed" shall be omitted.

17. For entries of column (3) of serial number 4 of clause (c) of Part [B] of Annexure, the following shall be substituted, namely :—
"Chemistry, Biochemistry, Pharmacy, Botany, Zoology, Military Science and Geology, Graduation in Engineering."

18. Entries relating to serial number 5 of clause (c) of Part (B) of Annexure shall be omitted.

19. In clause (i) of Part (C) of Annexure, after the word "marks" the words "and four years Elementary Education (B.L.Ed)" shall be inserted.

20. In clause (i) of Part (C) of Annexure, the words "Two years diploma in elementary education (by whatever name known)" shall be omitted.

21. In clause (A) and (B) of serial number 2 of Note appended to Annexure, the word "Science" shall be omitted.

22. After serial number 2 of Note appended to Annexure, the following shall be inserted, namely :—
"2(a) If no B.Ed degree holder candidates are available to be appointed on the post of Lecturer (Panchayat) then in that case relaxation may be given, but such candidates shall have to obtain the degree in B.Ed. course within 3 years from the date of their appointment."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAKANT UIKE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.